

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/11
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00011
CICOM/R/2015/01092

दिनांक: 01.04.2016

अपीलकर्ता : मोहम्मद शाजिद,
मकान नं. 95/91, अमीनगंज,
परेड, कानपुर नगर।

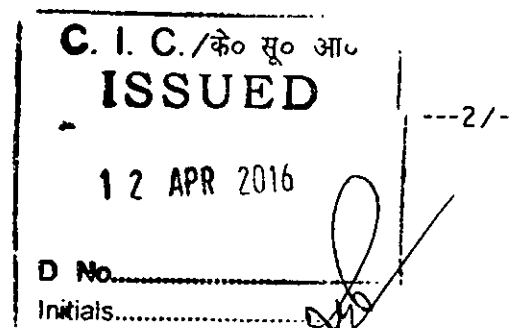
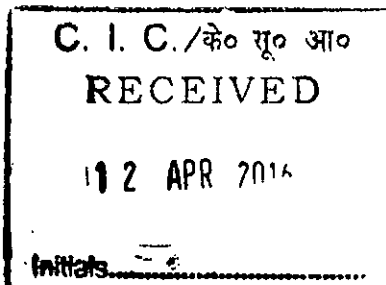
निर्णय की तारीख : 01.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.10.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	17.11.2015, 23.11.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री अविनाश चन्द्र पटेल, श्री धीरेन्द्र कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.12.2015, 10.02.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	100053/01.01.2016, 113545/16.02.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	3/04.01.2016, 74/17.02.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 15.07.2015 को दाखिल की गई द्वितीय अपील के संबंध में जानकारी मांगी थी। जिसके प्रतिउत्तर में श्री अविनाश चन्द्र पटेल एवं श्री धीरेन्द्र कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर में अपनी पुत्री का नाम बदलवाने हेतु आर.टी.आई., तत्पश्चात प्रथम अपील दाखिल किया था, तदुपरान्त केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल किया है, जो कि सुनवाई हेतु मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को अग्रसारित की गई है। अपीलकर्ता ने उसी द्वितीय अपील पर कार्यवाही के संबंध में आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगी है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि श्री धीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा द्वितीय अपील पर बिना गौर किए अपीलकर्ता को अस्पष्ट सूचना प्रदान की गई है। तदुसार श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पांच कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उनकी द्वितीय अपील से संबंधित स्पष्ट सूचना उलब्ध करवाई जाए।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।



4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी (मुख्य सूचना आयुक्त), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

17/4/16